

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 350/2024**



**IN THE MATTER OF:**

**AMIT KUMAR AND ANR.**

**...APPLICANTS**

**VERSUS**

**UNION OF INDIA & ORS.**

**...RESPONDENTS**

**INDEX**

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Short Factual Reply to the Original Application No. 350/2024 on behalf of Respondent Nos. 3, 4 & 6 along with Affidavit.	1-9B
2.	Annexure R/1: A True Copy of List of Dams.	10
3.	Annexure R/2 (Colly): A True Copy of Communications dated 05.07.2024 & 17.09.2024 by Tahsildar, Neem ka thana.	11-13
4.	Annexure R/3 (Colly): A True Copy of Communications dated 05.07.2024 and 11.09.2024 by Tahsildar, Neem ka thana.	14-32
5.	Annexure R/4: A True copy of Communication dated 17.09.2024 by the officials of Mining Department, Neem ka Thana.	33-34
6.	Annexure R/5 (Colly): A True Copy of Communication dated 18.01.2023 of Assistance Mining Engineer (Respondent No. 8).	35-39
7.	Annexure R/6 (Colly): A True Copy of Communication dated 10.07.2024 sent by Water Resources Department (Respondent No. 4) along with photographs of Raipur Patan Dam.	40-41

8.	Annexure R/7: A True Copy of Tabular chart of rainfall data of the last 29 years of rain gauge stations Neem ka Thana and Raipur Patan Dam site.	42
9.	Annexure R/8: A True Copy of Reports on Groundwater in Neem ka Thana Block.	43-44
10.	Annexure R/9: A True Copy of Reports on Groundwater in Patan Block.	45-48
11.	Vakalatnama	49-50

RESPONDENT NO. 3, 4 & 6

THROUGH




Nathmal Khedar

Executive Engineer,

Officer-in-Charge for Respondent No. 3,4 & 6

Water Resource Division Sikar

Government of Rajasthan



अधिकापी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड, सीकर

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 350/2024 (CZ)**

**IN THE MATTER OF:**

**AMIT KUMAR AND ANR.**

**...APPLICANTS**

**VERSUS**

**UNION OF INDIA & ORS.**

**...RESPONDENTS**

**SHORT FACTUAL REPLY TO THE ORIGINAL APPLICATION NO.  
350/2024 ON BEHALF OF THE RESPONDENT NOS. 3, 4 & 6.**

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH**

1. The present Short Factual Reply is being filed on behalf of the State of Rajasthan through Chief Secretary i.e., Respondent No. 3, Water Resources Department i.e., Respondent No. 4, and Rajasthan River Basin & Water Resources Planning Authority, i.e., Respondent No. 6 to the Original Application preferred by and on behalf of Mr. Amit Kumar and Mr. Kailash Meena (*herein after referred to as 'Applicants'*) under Section 14 & 15(1) read with Section 18(1) & (2) of National Green Tribunal Act' 20 10 (*hereinafter referred to as 'NGT Act'*) by the Applicants herein before the Hon'ble National Green Tribunal (*hereinafter referred to as the 'Tribunal'*). It is further submitted that the Answering Respondents reserve

the right to prefer a detail reply to present Application, if necessary or directed by this Hon'ble Tribunal.

**PRELIMINARY OBJECTIONS**

2. At the outset, the Answering Respondents disputes and denies all averments, submissions and contentions made in the Original Application save and except what is expressly admitted hereinafter. In the present application, the Applicants incorrectly alleges that illegal encroachments and illegal mining activities are affecting the flow of Kasawati/Krishnawati River in the Neem Ka Thana, District, State of Rajasthan and Mahendragarh, District, State of Haryana (hereinafter referred to as 'river area') at present. The Applicants are trying to build a case that due to non-effective intervention; environmental conservation is getting affected leaving profound impact on the region including lowering of the groundwater level in return affecting the livelihood of farmers in the adjacent communities.
3. The Answering Respondents and the other concerned authorities are taking the all necessary steps for conservation, preservation and restoration of the catchment area of the river area.

**BRIEF FACTUAL SUBMISSIONS**

4. Pertinently, the allegations are non-founded thus, denied. It is pertinent to highlight that the Krishnawati/Kasawati River basin originates from the Mothuka & Dariba hills which is part of Aravalli hills. The said river is a

seasonal river with the main catchment area in Tehsil Patan and Neem ka thana of District Neem ka thana. The total catchment area of Kasawati River is 288 Sq. Kms within the State of Rajasthan. The various drains from the catchment area converge at Raipur Patan dam passing through a multitude of villages in both State of Rajasthan as well as in State of Haryana. This river historically has been considered a tributary to Sahibi River.

5. The Krishnawati/Kasawati River becomes fully developed downstream of Raipur Patan dam near village Raipur Patan in the District Neem ka thana and flowing approximate 22 Kms in the State of Rajasthan through various villages including Kachareda, Dhandhela, Rajpura, Hasampur, Jatwas, Chhaja ki nangal, Blupura, Ramsinghpura, Khurdiya, Rampura, Dalpatpura, Kanthi, Mothuka and Raipur Patan of District Neem ka thana in Rajasthan and near village Sirsa ki dhani dilpura, Tehsil Patan, District Neem ka thana enters into Haryana near village Bhedanti of District Mahendragarh.
6. There are eight dams in District Neem ka thana namely (Raipur Patan, Dokan, Upper Rella, Lower Rella, Baran, Kola Ki Nangal, Shikargarh and Fatehpura bundh). The total catchment areas of these dams are 237.265 Sq. Km and storage capacity of these dams are 508.93 Mcft. A True Copy of List of Dams has been annexed and marked as **Annexure R/1**.

7. It is imperative to note that, even according to the revenue records, during the first land management proceedings from 1950-1955 and the second from 2003-2004, the site in question as per the revenue records of village Neemod, Khadagbijpur was not ever recorded as a river or drain. However, in the revenue record of village of Bharala, it was classified as "Gair Mumkin Nalla" (non-cultivable stream), therefore, making it a historically proven fact that the river in question is only a seasonal river. The Tahsildar has also confirmed that there is no mention of a drain or river in the revenue records of Neemod, Khadagbijpur. Additionally, a site analysis indicates the presence of a natural flow area that runs through Gair Mumkin Rasta, Gair Mumkin hills, and khatedari (tenancy) lands situated between the mountains, with no obstructions hindering the flow of Kasawati river. A True Copy of Communications dated 05.07.2024 & 17.09.2024 by Tahsildar, Neem ka thana have been annexed and marked as **Annexure R/2 (Colly)**.
8. It is worthy of making note that there is no encroachment as alleged by the Applicants *qua* the stone crushers in the riverbed near the villages of Kachareda, Dhandhela, Rajpura, Hasampur, Jatwas, Chhaja ki Nangal, Blupura, Ramsinghpura, Khurdiya, Rampura, Dalpatpura, Kanthi, Mothuka, and Raipur Patan, at present. Such records go to establish that no illegal mining/encroachment is taking place in the riverbed which in return can affect the flow of the Kasawati/ Krishnawati river. A True Copy of

Communications dated 05.07.2024 and 11.09.2024 by Tahsildar, Neem ka thana have been annexed and marked as **Annexure R/3 (Colly)**.

9. It is categorically submitted that time and again if any encroachment is found the authorities take immediate action. The Water Resources Department (**Respondent No. 4**) had issued 6 notices to the illegal encroachers in the year 2021 to remove/ vacate the illegal encroachment/ mining in the catchment area and the same is a matter of record. Such record is a proof that the Answering Respondents have acted vigilantly leaving no encroachment/ illegal mining on the riverbed in consonance with Environmental Protection norms to ensure that there is no hinderance in the river flow. Further on 17.01.2023, a joint Committee comprised of officials from Water Resources Department, Revenue Department and Mining Department made a field visit of the entire Kasawati River, in accordance with law. On the basis of joint committee's findings, a factual report has been prepared by the Respondent No. 4. Thereby, ensuring that no encroachment/ illegal mining prevails in the concerned area. A True Copy of Communication dated 18.01.2023 of Assistance Mining Engineer (**Respondent No. 8**) has been annexed and marked as **Annexure R/5 (Colly)**.

10. It is further submitted that on 10.07.2024, officials of Water Resources Department (**Respondent No. 4**) reported that no obstruction was found in the water flow upon visiting the catchment area of Kasawati River on

06.07.2024. Moreover, the Raipur Patan dam has been filled upto 3.4 feet gauge in the current year monsoon season and stored water approximately 1.61 million cubic meters to be utilised for maintaining water flow in the river as well as restoring groundwater levels. A True Copy of Communication dated 10.07.2024 sent by Water Resources Department (Respondent No. 4) along with Photographs of Raipur Patan Dam have been annexed and marked as **Annexure R/6 (Colly)**.

11. It is reiterated and highlighted that the main reasons for the limited/low water flow of the Kasawati river are the following:

- a) Due to climatic changes leading to continuous reduction in the long-term average of rainfall affecting and reducing the water availability in the catchment area of the river;
- b) The inflow of water has been regulated by the concept of field water management within the field, and, along with the reduction of independent catchment areas due to the expansion of the agricultural sector, this has led to decreased water inflow;
- c) In the catchment area of the river, like other areas, the water inflow into the river is not converted into run-off due to over-exploitation of groundwater.

A True Copy of Tabular chart of rainfall data of the last 29 years of rain gauge stations Neem ka Thana and Raipur Patan Dam site has been annexed and marked as **Annexure R/7**.

12. It is humbly submitted that in the Neem ka Thana block, it is evident that the region possesses significant groundwater resources, particularly within the Quartzite zone, which spans an area of 289.56 sq.km. The average yield of wells in this zone is commendable, with 32,000 litres per day when pumped and 20,000 litres per day without pumping, indicating a reliable water supply for local communities. Furthermore, the groundwater quality has been classified as potable, ensuring its suitability for drinking and domestic use. While the area has been categorized as "**Over Exploited**" with a groundwater extraction stage of 227.40%. A True Copy of Reports on Groundwater in Neem ka Thana Block has been annexed and marked as **Annexure R/8**.

13. It is further contended on behalf of Answering Respondents that the Patan Block, covering an area of 478.89 sq. km, is primarily characterized by water-bearing formations of Quartzite and schist. The assessment identifies a significant potential zone (ZQ01) within the block, where the depth of water ranges from 11.5m to 36.45m, with an average well yield of 32,000 litres per day when pumped. Imperatively, the groundwater quality in this region is deemed potable, ensuring the health and safety of the local community. However, it is crucial to note that the Patan Block has been classified as "**Over Exploited**," with a groundwater extraction rate of 170.19%. This alarming statistic highlights the urgent need for sustainable

management practices to prevent further depletion of this vital resource for which adequate steps are being contemplated by all the concerned departments including but not limiting to the Answering Respondents collectively. In view of the same, it is further recommended that there must be reduction of groundwater extraction in the area, emphasizing the necessity for conservation efforts. A True Copy of Reports on Groundwater pertaining to Patan Block has been annexed and marked as **Annexure R/9**.

14. The Answering Respondents undertake to comply with each and every order of this Hon'ble Tribunal in its Communication and spirit to the best of its capacity at its earliest.


#### **PRAYER**

It is therefore, most respectfully prayed that in view of the submissions made hereinabove, the Hon'ble Tribunal may be pleased to-

- i. Dismiss the Original Application bearing No. 350/2024 referred by and on behalf of the Applicants; and
- ii. Pass any other/further order which this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice, equity and good conscience.

RESPONDENT NO. 3, 4 & ,6

THROUGH



NATHMAL KHEDAR

Executive Engineer,

Officer-in-Charge for Respondent No. 3,4,& 6

Water Resource Division Sikar

Government of Rajasthan



अधिशायी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड, सीकर

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION No. 350 OF 2024



IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR & ANR.

...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT


I, Nathmal Khedar S/o Sundarmal Khedar aged about 57 years, at present working as Executive Engineer, Water Resources Division, Sikar solemnly swear and affirm on as under:-

1. That I am the Officer in Charge (OIC) in the above captioned matter for the State of Rajasthan through Chief Secretary (Respondent No. 3) Water Resources Department (Respondent No. 4) & Rajasthan River Basin & Water Resources Planning Authority (Respondent No. 6). I am well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. I state that I have read and understood the contents of the accompanying Reply which has been drafted by my counsel under my instructions and the same has been explained to me. I say that the contents of the same are true and correct to the best of my knowledge and belief.
3. That the submissions made therein are believed to be true and nothing material has been concealed therefrom.
4. I say that Annexures in the instant Reply is the true and correct copy, true and typed copy and true and translated copy of the original.



DEPONENT

अधिकाधी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड, सीकर




**VERIFICATION**

I, the Deponent above named do hereby solemnly affirm that contents of Paragraphs no. 1 to 4 of the foregoing Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at me on this day 26th of September, 2024.

**IDENTIFIED BY ME**

  
**DEPONENT**  
अधिकाधी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड, सीकर

**ATTESTED**  
  
**30 SEP 2024**  
NOTARY PUBLIC  
NECHAWA (SIKAR) RAJ.

**Annexure R/1****List of Dams constructed by Water Resources Department in Krishnawati Basin**

S. No.	Name of Dam	Year of Construction	Catchment Area (Sq. Km.)	Capacity (Mcum)	CCA (Ha)	Executive Agency
1.	Raipur Patan	1967-68	154.80	8.32	2207	Water Resources Department
2.	Dhokan	1982-83	11.60	0.63	127	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
3.	Upper Raila	1963-64	15.48	0.71	212	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
4.	Lower Raila	1963-64	24.51	1.20	244	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
5.	Baran	1982-83	6.19	0.40	73	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
6.	Kola Ki Nagal	1980-81	6.45	0.40	93	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
7.	Shikargarh	2003-04	6.45	0.30	93	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department
8.	Fatehpura	2006-07	11.78	1.47	119	Transferred by Water Resources Department to Panchayati Raj Department

TRUE COPY

क्रायालय तहसील कार (मू. अ.) नीमकाथाना, जिला - नीमकाथाना

क्रमांक/मू. अ./२०२५/ 5670

दिनांक 17.09.2024

श्रीमान् अधिकारी अभियन्ता  
जल संवाहन संचालक

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली  
का संकेत संख्या 350/2024, अमित कुमार एवं  
श्रम कनास मुनियन ऑफ इण्डिया एवं श्रम से  
प्राप्त आदेश दिनांक 08.04.2024 के सम्बन्ध में  
सूचना उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्रांक/1239-40 दिनांक 10.09.2024

महोदय,

उपरोक्त प्रायोगिक विषयान्तर्गत विवेदन है कि उक्त प्रस्ताव  
में 'हृदयावती नदी' के बहाव और सम्बन्धि सूचना चाही गई है।  
इस बाबत विवेदन है कि तहसील नीमकाथाना में 'हृदयावती नदी'  
नाम के कोई नदी रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः सूचनाार्थ  
प्रेषित है।

तहसीलदार (मू. अ.)  
नीमकाथाना

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार नीमकाथाना जिला नीम का थाना (राज0)

क्रमांक:- भू.अ./2024/1168

दिनांक:- 05.07.2024

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
नीमकाथाना।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, नई दिल्ली प्रकरण 350/2024 अमित कुमार एवं अन्य बनाम  
युनियन ऑफ एवं अन्य।

प्रसंग:- श्रीमान का पत्रांक पीए/2024/154 दिनांक 24.05.2024।

महोदय,

- उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्रीमान के पत्रांक की पालना में कांसावती नदी जीर की चौकी ग्राम नीमोद, खडगबीजपुर, महावा में जांच अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशन में भू.अ.नि. गांवडी पटवारी हल्का दरीबा, पटवारी हल्का महावा की संयुक्त टीम द्वारा करवायी गयी जो निम्नानुसार है।
1. प्रथम भूप्रबंध कार्यवाही सन 1950-55 से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में राजस्व ग्राम नीमोद, खडगबीजपुर में शिकायत स्थल का अंकन नदी/नाला के रूप में रिकार्ड दर्ज नहीं थे। लेकिन राजस्व ग्राम भराला में गै.मु. नाला रिकार्ड दर्ज है।
  2. द्वितीय भूप्रबंध कार्यवाही 2003-04 में भी राजस्व ग्राम नीमोद खडगबीजपुर में शिकायत स्थल (तथाकथित कांसावती नदी) का राजस्व रिकार्ड में नदी/नाला के रूप में अंकन नहीं है। लेकिन राजस्व ग्राम भराला में खसरा नम्बर 717/598, 718/598, 719/598 किस्म गै.मु. नाला राजस्व रिकार्ड दर्ज है।
  3. तथा कथित कांसावती नदी ग्राम नीमोद पटवार मण्डल खादरा खसरा नम्बर 1034 में किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 1030 किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के आस पास सिवायचक एवं खातेदारी भूमि है। चूंकि राजस्व रिकार्ड में कही भी किस्म नदी/नाला दर्ज नहीं है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त गै.मु. रास्तो से वर्षा काल में पहाडो के बीच स्थित होने के कारण बारिश का पानी बहकर आता है। यह गै.मु. रास्ते आस-पास बने केंशर जोन एवं खनन क्षेत्र के मध्य एवं साईड से आता है उक्त बहाव क्षेत्र में केंशर वालो द्वारा कई बार अपष्टि डालकर अवरुद्ध किया जाता रहा है।

(महेश ओला)  
तहसीलदार  
नीमकाथाना (राज०)

4. ग्राम खडगबीजपुर पटवार हल्का दरीबा में खसरा नम्बर 756/134 किस्म गै.मु. पहाड है। राजस्व रिकार्ड में कहीं भी नदी नाला दर्ज नहीं है। वर्तमान में इसकी आकृति नाले जैसी है। तथा इस बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार अवरोध नहीं है।
5. ग्राम भराला पटवार हल्का महावा में स्थित खसरा नम्बर 717/598, 719/598 किस्म गै.मु. नाला तथा खसरा नम्बर 718/598 किस्म गै.मु. सडक है। वर्तमान में मौके पर 718/598 में रपट डालकर पुलिया बनाया हुआ है जिसके बहाव क्षेत्र अवरुद्ध नहीं है। ख.नं. 717/598, 719/598 किस्म गै.मु. नाला खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसकी खातेदारी सांवतराम पुत्र माधाराम जाति माली खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। खातेदारी में स्थित उक्त नाला आगे चलकर ख.नं. 588, 589, 590 किस्म गै.मु. नदी में जाकर मिलता है।

सारत! राजस्व रिकार्ड में राजस्व ग्राम नीमोद, खडगबीजपुर में कहीं भी नाला दर्ज रिकार्ड नहीं है तथा मौके पर विशलेषण से ज्ञात होता है कि पहाडो की बीच स्थित गै.मु. रास्ता, गै.मु. पहाड तथा खातेदारी भूमियों में बहाव क्षेत्र बना हुआ है।

रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवामें सादर प्रेषित है।

(महेश ओला)  
तहसीलदार नीमकाथाना  
(महेश ओला)  
तहसीलदार  
नीमकाथाना (रा. ३)



## Annexure R/3 (Colly)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय तहसीलदार, पाटन (नीमकाथाना)

क्रमांक:-राजस्व/2024/657

दिनांक:- 11/09/24

अधिशायी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड सीकर।

विषय - माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या 350/2024  
अमित कुमार एवं अन्य बनाम युनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश  
दिनांक 08.04.2024 के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंग- आपका पत्रांक 1092-93 दिनांक 22.08.2024 व 1239-40 दिनांक 10.09.2024  
क क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र क्रम में आप द्वारा चाही गयी सूचना संबंधित

पटवारी हल्का से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

  
तहसीलदार  
पाटन जिला नीमकाथाना

क्रमांक:-राजस्व/2024/658  
प्रतिलिपि :- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नीमकाथाना।

दिनांक :- 11/09/24  
  
तहसीलदार  
पाटन जिला नीमकाथाना

प.म. - रामसिंहपुरा

आवाह ग्राम	शुद्धिया
ग्रामजनास	रामसिंहपुरा
तहसील	पाटा
जिला	मीम काभाना
ग्राम की कृष्णावती नदी के बाधक्षेत्र से दूरी	524 मीटर
अतिक्रमण होने की रिपोर्ट में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।
राजस्व रिकॉर्ड, लच्छा नक्शा हेतु के अनुसार कृष्णावती नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौ. मी. में	Min - 40m Max. - 92m

B. Sarda

प.म. - रामसिंहपुरा

प.म. - रामसिंहपुरा

आबाद ग्राम	रामसिंहपुरा, <del>कु</del>
ग्राम पंचायत	रामसिंहपुरा
तहसील	फारन
जिला	नीम का थाना
ग्राम की कृष्णावती नदी के नहाव क्षेत्र से दूरी	1320 मीटर।
अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।
राजस्व रिकॉर्ड, लट्ठा नक्शा ट्रेस के अनुसार कृष्णावती नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौ. मी. में	Min - 50 मीटर Max. - 64 मीटर

B. Sarda  
प.म. - रामसिंहपुरा





कामप्लिफ' परिवार मंडल राजपुरा तहसील पारन (नीमडाम)

आबाद ग्राम	धांधेला	भांडाला	नारीपरी
ग्राम पंचायत	धांधेला	राजपुरा	राजपुरा
तहसील	पाळ	पाळ	पाळ
जिल्हा	नीमडाम	नीमडाम	नीमडाम
ग्राम की सुरगावली नदी के कंधार क्षेत्र से दूरी	ग्राम की धोला खो - 1360 मीटर बागी बेका हि - 360 मीटर	380 मीटर	120 मीटर
सुरगावली नदी के ताल में अस्थिरता होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	नदी	नदी	नदी
सत्रिक रिकॉर्ड लखन नकशा देख के अनुसार सुरगावली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई (मीटर में)	न्यूनतम - 36 मीटर अधिकतम - 80 मीटर	न्यूनतम - 40 मीटर अधिकतम - 85 मीटर	न्यूनतम - 22 मीटर अधिकतम - 43 मीटर

20/8/24  
राजपुरा

प. म. धामपुर

अबाद झर	धामपुर
झरक क्यार	धामपुर
नदीका	पान
जिला	सीकर
झर की कुलवर्गी नदी क बहाव से ७ कुमी	1006 मी
कुलवर्गी नदी क नाल क अधिकता से की स्थिति से की बर्हि कर्षवादी	नदी से
राज्य सिरी लडा नला से क अनुवाह कुलवर्गी नदी की कुलवर्गी से अतिक्रमण नदीका (सीकर से)	24-38 मी

प. म. धामपुर

आबाद झर	धामपुर
झरक क्यार	धामपुर
नदीका	पान
जिला	सीकर
झर की कुलवर्गी नदी क बहाव से ७ कुमी	9219 मी.
कुलवर्गी नदी क नाल क अधिकता से की स्थिति से की बर्हि कर्षवादी	नदी से
राज्य सिरी लडा नला से क अनुवाह कुलवर्गी नदी की कुलवर्गी से अतिक्रमण नदीका (सीकर से)	46-46

कु  
पान  
धामपुर

प. म. मोड़का

उत्पाद का नाम	कापसी
उत्पन्न क्षेत्र	मोड़का
नदानील	पाटन
जिला	सीकर
उत्पन्न क्षेत्र का नाम	586 गा.
उत्पाद की विशेषता	नदी
उत्पाद का नाम	40-54 गा.

प. म. मोड़का

उत्पाद का नाम	मोड़का
उत्पन्न क्षेत्र	मोड़का
नदानील	पाटन
जिला	सीकर
उत्पन्न क्षेत्र का नाम	1380 गा.
उत्पाद की विशेषता	नदी
उत्पाद का नाम	74-384

3  
पटवारा  
 715/51

1/27/20 - 31/4/20

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, सीकर।

प्रारूप

जन्म का नाम

भगेश्वर, नाथूवाला, हेमराजपुरा, न्यारोना

वर्तमान पता

डोकन, न्यारोना

पद

पारन

जिला

कृष्णावती

यदि कृष्णावती नदी में बहाव होने में 100

सगेवन से 1800 मी., नाथूवाला से 300 मी., हेमराजपुरा से 500 मी., न्यारोना से 1500 मी.

कृष्णावती नदी के ताल में जल संकलन करने की

स्थिति में की गई कार्यवाही

अतिक्रम नदी में

राजस्व रिजॉर्ड लटल नगशा ट्रेस के अनुसार

न्यूनतम - 3.0 मी.

कृष्णावती नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम

अधिकतम - 6.0 मी.

गोड़ाई (मीटर में)

रुद्रका  
का डोकन

प. ११ वेगा की नांगल

शाखा नाम	३१५५३
शाखा संख्या	वेगा ११ नांगल
सूचना	पालन
पिनकोड	बीमकाठाना
शाखा की सुव्यवस्था नदी के बहाव क्षेत्र से तुरी	170 Met
अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है
राजस्व रिकार्ड, लठठा नक्शा देस ले अनुसार सुव्यवस्था नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौ. ती. से	MIN - 40 Met MAX - 96 Met.

~~प. ११~~  
प. ११ वेगा की नांगल



राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार, पाटन (नीमकाथाना)

क्रमांक:-राजस्व/2024/3111

दिनांक:- 05/07/2024

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
नीमकाथाना।

विषय- माननीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, नई दिल्ली प्रकरण संख्या 350/2024 अमित कुमार एवं अन्य युनियन आफ इण्डिया एवं अन्य।  
प्रसंग- श्रीमानजी उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना का पत्रांक पीए/2024/221 दिनांक 04 05.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के कम में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली प्रकरण संख्या 350/2024 अमित कुमार एवं अन्य युनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय प्राधिकरण द्वारा कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण करने एवं अपशिष्ट डालने वाले स्टोन केशर, माईस, इत्यादि को चिन्हित कर रिपोर्ट पेश करने बाबत जांच भू0अ0नि0 रायपुर पाटन, पटवारी पटवार हल्का डोकन, पटवारी पटवार हल्का रायपुर पाटन से करवाई गयी मुताबिक जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है-

1. यह है कि उक्त कासावती नदी तहसील पाटन में ग्राम भगेश्वर से शुरू होकर ग्राम नाथूवाला, हेमराजपुरा, रायपुर पाटन से गुजरती हुई रायपुर पाटन बांध में मिलती है।
2. यह है कि कासावती नदी ग्राम भगेश्वर में खसरा नम्बर 305, 325, 382,411, 831 ग्राम नाथूवाला में खसरा नम्बर 124, 151, 152 165, 190, 79, 77, 98,124 ग्राम हेमराजपुरा में खसरा नम्बर 1, 592 तथा ग्राम रायपुर पाटन में खसरा नम्बर 30,32,39 में से गुजरती हुई रायपुर पाटन बांध में मिलती है।
3. यह है कि उक्त खसरा नम्बरों को मौका देखा गया जिसमें कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है तथा पानी बिना किसी रूकावट के रायपुर पाटन बांध तक जाता है उक्त नदी के बहाव क्षेत्र में वर्तमान में किसी प्रकार का पक्का अतिक्रमण नहीं है।
4. यह है कि बांध में ओवरफ्लो होने पर पानी पटवार मण्डल रायपुर पाटन, राजपुरा, हसामपुर, छाजा की नांगल, बल्लुपुरा, रामसिंहपुरा, बेगा की नांगल, मोदुका, दलपतपुरा, होते हुए हरियाण राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाती है।

रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवामें सादर पेश है।

सलंगन - 1.सयुक्त मौका रिपोर्ट भू0अ0नि0 रायपुर पाटन, पटवारी पटवार हल्का रायपुर पाटन, डोकन।

2. जमाबंदी।

01/07/24  
तहसीलदार  
पाटन  
राजस्थान सरकार

Email ID : idrpatan@gmail.com

आज दिनांक 05/07/24 को श्रीमान तस्लीमदार जी के आदेश क्रमांक राजस्व/2024/343 दिनांक 05/07/24 की पालना में बरमगाह परवारी हल्का जेकरा व रायपुर पाटन के साथ कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में अतिवृष्टि की जांच बाबत पहुंचा। उक्त कासावती नदी ग्राम भगेश्वर से शुरू होकर ग्राम नाथूवाला, हैमराजपुरा, रायपुर पाटन से गुजरती हुई रायपुर पाटन बाँध में मिलती है। उक्त कासावती नदी के ग्राम भगेश्वर में ख.नं. 305, 325, 322, 411, 448, 831 ग्राम नाथूवाला में ख.नं. 124, 151, 152, 165, 190, 79, 98, 124 ग्राम हैमराजपुरा में ख.नं. 1, 592, ~~593/838~~ तथा ग्राम रायपुर पाटन में ख.नं. 30, 32, 39 में से गुजरती हुई रायपुर-पाटन बाँध में मिलती है। उक्त ख.नं. का मौका देखा गया जिसमें कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है तथा पानी बिना किसी रुकावट के रायपुर-पाटन बाँध तक जाता है। उक्त नदी के बहाव क्षेत्र में वर्तमान में किसी प्रकार का पम्पा अतिवृष्टि नहीं है, बाँध में बॉवरफ्लो होने पर पानी पटवार मण्डल रायपुर पाटन, धान्धेला, प.भ. राजपुरा, हसामपुर, छाजा के नांगल, बल्लुपुरा, रामसिंहपुरा, वेंगा की नांगल, मोडुका होते हुए हरिभावा राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाती है।

की सेवा में सादर स्तुति है।

रिपोर्ट श्रीमान जी

5/7/24  
P. M. तस्लीमदार  
14/7/24  
14/7/24  
14/7/24

सं. नि. :- डोकन  
सं. नि. :- रायपुरपाटन  
हमील :- पाटन  
जिला :- सीकर

अंतिम चौमाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 ( वर्ष 2022 ) में म्यायी  
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 1  
खाता संख्या पुराना :- 0

281	0.0600	गै.मु.पहाड	0.0600
282	0.0700	गै.मु.पहाड	0.0700
285/1	0.8000	बजड	0.8000
305	0.6600	गै.मु.नला	0.6600
307	0.2500	बंजड	0.2500
309	0.2500	बंजड	0.2500
310	0.1600	बंजड	0.1600
320	0.2000	गै.मु.रास्ता	0.2000
324	0.2500	गै.मु.नला	0.2500
325	0.5600	गै.मु.नला	0.5600
330	6.4800	बंजड	6.4800
335	3.6000	गै.मु.पहाड	3.6000
339	1.9000	गै.मु.पहाड	1.9000
34	1.7700	गै.मु.पहाड	1.7700
35	1.2500	गै.मु.पहाड	1.2500
363	0.1800	गै.मु.पहाड	0.1800
365	0.2000	गै.मु.पहाड	0.2000
379	0.4500	गै.मु.पहाड	0.4500
382	1.2000	गै.मु.नला	1.2000
385	0.8000	गै.मु.रास्ता	0.8000
385/835	0.6200	गै.मु.रास्ता	0.6200
396	0.2400	गै.मु.पहाड	0.2400
4	0.0600	गै.मु.पहाड	0.0600
411	1.0400	गै.मु.नला	1.0400
423	0.1400	गै.मु.गाम्ना	0.1400
43	0.1900	गै.मु.पहाड	0.1900
436/2	0.0400	गै.मु.औधोगिक	0.0400
437/3	0.0500	बंजड	0.0500
437/4	0.1300	गै.मु.औधोगिक	0.1300
45	0.1900	गै.मु.पहाड	0.1900
456	1.1500	बजड	1.1500
459/839	0.1500	बंजड	0.1500
460	2.5700	बंजड	2.5700
466	0.3300	बंजड	0.3300
467	0.0900	बजड	0.0900
467/844	0.0700	बंजड	0.0700
468	0.3200	बजड	0.3200
47	0.1600	गै.मु.पहाड	0.1600

जमाबन्दी  
(प्रतिलिपि)

समोच्चर  
खेती - हावन  
स अग्रि नि - रावप्रपारन  
नदमीन - पावन  
जिला - सीकर

अंतिम चौगाना आधार माफत - 2075 - 2078 जमाबन्दी 2079 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम - राज सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई - हेक्टेयर  
खाना संख्या नया - 1  
खाना संख्या पुराना - 0

75	1 1400	गै.मु.पहाड	1 1400
752	9 8700	गै.मु.पहाड	9 8700
755	6 9200	गै.मु.पहाड	6.9200
760	0.0100	गै.मु.पहाड	0.0100
761	0.0600	गै.मु.पहाड	0.0600
762	0.3800	गै.मु.पहाड	0.3800
763	4.2600	गै.मु.पहाड	4.2600
765	0.0400	बंजड	0.0400
770	0.0200	बंजड	0.0200
771	0.0400	बंजड	0.0400
780	0.4100	बंजड	0.4100
785	0.1300	बंजड	0.1300
79	0.4400	गै.मु.नला	0.4400
792	0.1800	बंजड	0.1800
822	0.0200	गै.मु.पहाड	0.0200
823	0.6000	गै.मु.पहाड	0.6000
824	0.1400	गै.मु.नला	0.1400
826	0.3800	गै.मु.रास्ता	0.3800
828	0.0600	गै.मु.नला	0.0600
830	1.4300	बंजड	1.4300
831	3 8200	गै.मु.नदी	3.8200
845/766	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
846/766	0.0200	बंजड	0.0200
847/766	1.9600	बंजड	1.9600
851/787	1.0500	बंजड	1.0500
852/787	0.1600	गै.मु.रास्ता	0.1600
853/787	0.9600	बंजड	0.9600
882/425	0.0183	गै.मु.रास्ता	0.0183
884/842	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100
910/479	0.0494	गै.मु.रास्ता	0.0494
912/480	0.0165	गै.मु.रास्ता	0.0165
913/791	1 4968	बंजड	1.4968
914/791	0.0732	गै.मु.रास्ता	0.0732
918/53	0.1840	गै.मु.पहाड	0.1840
919/53	0.2060	गै.मु.रास्ता	0.2060
920/53	1.2300	गै.मु.पहाड	1.2300
932/283	1 5000	बंजड	1.5000
945/459	0 0732	गै.मु.रास्ता	0 0732

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(द्वितीय नियम 153 ए)

**जमाबन्दी  
(प्रतिलिपि)**

ग्राम का नाम :- नाथुवाला  
पटवार इल्का :- डोकन  
भू.अभि.नि. :- रायपुरपाटन  
तहसील :- पाटन  
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार संख्या :- 2075 - 2078 जमाबन्दी 2079 ( वर्ष 2022 ) में म्यागी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 1  
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम :-

राज. सरकार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
113	0.0700	गै.मु.पहाड़	0.0700			
122	3.0500	बंजड़	3.0500			
130	4.6500	गै.मु.पहाड़	4.6500			
152	1.1600	गै.मु.नदी	1.1600			
165	1.0100	गै.मु.नदी	1.0100			
166	0.1000	गै.मु.सड़क	0.1000			
167	0.3300	गै.मु.पहाड़	0.3300			
168	0.1700	बारानी 3	0.1700			
169	0.0300	बारानी 3	0.0300			
170	0.1300	बारानी 3	0.1300			
171	0.0500	बारानी 3	0.0500			
172	0.1400	बारानी 3	0.1400			
173	0.0800	बारानी 3	0.0800			
179	0.1500	गै.मु.पहाड़	0.1500			
180	0.0700	गै.मु.पहाड़	0.0700			
181	0.2800	गै.मु.पहाड़	0.2800			
187	0.0400	गै.मु.पहाड़	0.0400			
188	0.0100	गै.मु.पहाड़	0.0100			
189	0.0400	गै.मु.पहाड़	0.0400			
190	2.6000	गै.मु.नदी	2.6000			
191	0.3500	गै.मु.नाला	0.3500			
192	0.7000	बंजड़	0.7000			
193	0.1500	गै.मु.सड़क	0.1500			
194	0.6700	बंजड़	0.6700			
202	0.0500	गै.मु.सड़क	0.0500			
203	0.0600	गै.मु.सड़क	0.0600			
206	0.3500	गै.मु.सड़क	0.3500			
207	1.4000	गै.मु.पहाड़	1.4000			
208	0.3100	गै.मु.पहाड़	0.3100			
22	0.0500	गै.मु.पहाड़	0.0500			
220	0.2000	गै.मु.पहाड़	0.2000			

**जमाबन्दी  
(प्रतिलिपि)**

साधुवाला  
हल्का :- डोकल  
भू. अभि. नि. :- गायपुरपाटन  
तहसील :- पाटन  
जिला - सीकर

अंतिम बीसाला आधार मस्यत - 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 ( वर्ष 2022 ) से म्यागी  
भूमि धारक का नाम - राज सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 1  
खाता संख्या पुराना :- 1

442/355	0.1400	गै.मु.पहाड	0.1400
45	0.1000	गै.मु.पहाड	0.1000
46	0.0900	गै.मु.पहाड	0.0900
47	0.0400	गै.मु.पहाड	0.0400
48/2	19.0900	गै.मु.पहाड	19.0900
49	0.1100	बारानी 2	0.1100
50	9.2200	बंजड	9.2200
54	1.0000	बंजड	1.0000
6	0.0600	बंजड	0.0600
7	0.0100	गै.मु.सडक	0.0100
77	0.0500	गै.मु.नदी	0.0500
79	0.7000	गै.मु.नदी	0.7000
8	0.0400	बंजड	0.0400
90	0.2500	गै.मु.पहाड	0.2500
95	0.2000	चाही 3	0.2000
96	0.2300	चाही 3	0.2300
97	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100
98	2.3400	गै.मु.नदी	2.3400
कुल खसरे - 87	74.7100		74.7100

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 5-Jul-2024

**NIC**

प्रपत्र पी-26 (सी)  
देखिये नियम 153 ए।

जमाबन्दी  
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम - हेमराजपुरा  
पटवार हत्का - डोकन  
भू. अभि. नि. - रायपुरपाटन  
तहसील - पाटन  
जिला - सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत - 2075 - 2078 जमाबन्दी 2079 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम - राज सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई - हेक्टेयर  
खाता संख्या नया - 1  
खाता संख्या पुराना - 1

कायतकार का नाम -

राज सरकार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	6.7500	गै.मु.नदी	6.7500			
104	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500			
105	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700			
11	0.0300	गै.मु.बावड़ी	0.0300			
112	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700			
115	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900			
13	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			
141	0.2500	गै.मु.रास्ता	0.2500			
142	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100			
145	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.0600			
146	0.1800	गै.मु.रास्ता	0.1800			
147	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900			
148	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000			
149	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300			
154	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			
165	0.1800	गै.मु.रास्ता	0.1800			
169	0.1600	गै.मु.रास्ता	0.1600			
170	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100			
179	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200			
180	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			
181	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			
182	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300			
183	0.1400	गै.मु.रास्ता	0.1400			
184	0.2600	गै.मु.रास्ता	0.2600			
185	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800			
244	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200			
246	0.1000	गै.मु.सड़क	0.1000			
266	0.2000	गै.मु.रास्ता	0.2000			
33	0.6300	गै.मु.पहाड	0.6300			
403	0.3500	गै.मु.सड़क	0.3500			
44	0.2400	गै.मु.पहाड	0.2400			
45	1.7100	गै.मु.पहाड	1.7100			
453	0.0100	गै.मु.बोरिंग	0.0100			
458	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800			
161	0.1200	बजड़	0.1200			
178	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			
179	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			

स्वीकृत नामान्तरकरण : 222/09/2022 आवंटन

जमाबन्दी  
(प्रतिलिपि)

जमाबन्दी - हेमराजपुरा  
खेती हल्का - डोकन  
भू अधिकारि - रायपुरपाटन  
तहसील - पाटन  
जिला - सीकर

अंतिम चौसाला आधार राखत - 2075 - 2078 जमाबन्दी 2079 ( वर्ष 2022 ) में स्थायी  
भूमि धारक का नाम - राज मरकर  
क्षेत्रफल की ईकाई - हेक्टेयर  
खाता संख्या नया - ।  
खाता संख्या पुराना - ।

78	0.1500	गै.मु.पहाड	0.1500
79	0.9200	गै.मु.पहाड	0.9200
496	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100
497	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700
298	0.1200	गै.मु.गस्ता	0.1200
499	0.2100	गै.मु.रास्ता	0.2100
5	0.0200	गै.मु.सड़क	0.0200
80	0.1500	गै.मु.पहाड	0.1500
586	0.2600	गै.मु.रास्ता	0.2600
591	3.9200	गै.मु.शमशान	3.9200
592	5.9500	गै.मु.नदी	5.9500
772	0.6800	गै.मु.नदी	0.6800
773	0.1000	गै.मु.नदी	0.1000
786	0.0500	गै.मु.खड्डा	0.0500
788	0.1400	गै.मु.खड्डा	0.1400
797	0.1300	गै.मु.नदी	0.1300
798	0.1000	गै.मु.नदी	0.1000
798/839	0.0500	गै.मु.नाला	0.0500
799	0.0300	गै.मु.नदी	0.0300
805	0.1200	गै.मु.नदी	0.1200
808	0.1100	गै.मु.नाला	0.1100
809	0.1100	गै.मु.नाला	0.1100
818	0.8400	बंजड़	0.8400
830	0.4600	गै.मु.सड़क	0.4600
831	0.0600	गै.मु.सड़क	0.0600
832	0.6200	बंजड़	0.6200
87	0.3800	गै.मु.सड़क	0.3800
895/457	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100
898/457	0.0144	गै.मु.रास्ता	0.0144
91	0.0500	गै.मु.बावड़ी	0.0500
93	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100
97	0.0600	गै.मु.सड़क	0.0600

कुल खसरे - 69 28.7644 28.7644

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में राक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।  
नकल जारी करने की तिथि - 5-Jul-2024

111

जमाबन्दी  
(प्रतिलिपि)

रायपुर पाटन  
रायपुरपाटन  
रायपुरपाटन  
पाटन  
सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबन्दी 2079 ( वर्ष 2022 ) मे म्यायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 1  
खाता संख्या पुराना :- 1

2007/1426	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100
2022/1972	1.7500	बंजड़	1.7500
2024/896	2.4500	बारानी 3	2.4500
217	0.0200	बंजड़	0.0200
227	0.0900	गै.मु.चाह	0.0900
230	0.9400	चाही 1	0.9400
265	0.0400	बंजड़	0.0400
280	0.0500	गै.मु.चाह	0.0500
29	0.4700	बंजड़	0.4700
299	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100
30	17.1200	गै.मु.नदी	17.1200
300	0.0800	बंजड़	0.0800
308	0.2600	बंजड़	0.2600
32	0.0200	गै.मु.नदी	0.0200
322	0.1600	गै.मु.चाह	0.1600
33	0.1000	गै.मु.पाल	0.1000
349	0.1500	बंजड़	0.1500
350	0.1800	बंजड़	0.1800
38	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400
382	0.0600	गै.मु.चाह	0.0600
384	0.0400	बंजड़	0.0400
387	0.2000	बंजड़	0.2000
39	0.9100	गै.मु.नदी	0.9100
465	0.1400	गै.मु.चाह	0.1400
475	0.1500	गै.मु.पहाड़	0.1500
482	0.1600	बंजड़	0.1600
525	0.0800	बंजड़	0.0800
526	0.0300	गै.मु.पहाड़	0.0300
527	0.4500	गै.मु.मड़क	0.4500
531	0.3100	गै.मु.पहाड़	0.3100
534/2008	1.4000	गै.मु.पहाड़	1.4000
535/2010	0.9000	गै.मु.पहाड़	0.9000
535/2011	1.6300	गै.मु.पहाड़	1.6300
536/2009	2.6700	गै.मु.पहाड़	2.6700
544	0.9300	बंजड़	0.9300
546	0.3300	गै.मु.तलाई	0.3300
554	0.0600	बंजड़	0.0600
559	0.1500	बंजड़	0.1500

## राजस्थान-सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नीमकाथाना  
दूरभाष व फ़ैक्स: 01574-231810 E-mail:- ame.neemkathana@rajasthan.gov.in

क्रमांक: सखअ/नीम/अप्र/बजरी/एन.जी.टी./3097

दिनांक 17.09.2024

प्रेषित:-

अधिशायी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड सीकर।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या-350/2024 अमित कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.4.2024 के संबध में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंग:- आपके पत्रांक 1096 दिनांक 22.08.2024 एवं 1237 दिनांक 10.09.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रांक के क्रम में यह कि कासावती नदी क्षेत्र जो निमोद, गांवड़ी राजस्व सीमा से होकर रायपुर पाटन बांध क्षेत्र तक जाती है। कार्यालय रिकार्ड अनुसार नदी क्षेत्र के आस-पास 6 खनन पट्टें खनिज चेजापत्थर के स्वीकृत होकर प्रभावशील है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खनन पट्टा संख्या	खनिज	क्षेत्रफल	उत्पादन क्षमता	अवैध खनन की स्थिति
1.	363/2004	चेजापत्थर	1.00	150000 वार्षिक	उक्त खनन पट्टों में अवैध खनन का कोई प्रकरण नहीं बना है।
2.	364/2004	चेजापत्थर	1.00	150000 वार्षिक	
3.	692/2010	चेजापत्थर	1.00	15257 वार्षिक	
4.	693/2010	चेजापत्थर	1.00	49300 वार्षिक	
5.	694/2010	चेजापत्थर	1.00	150000 वार्षिक	
6.	116/2010	चेजापत्थर	1.00	152000 वार्षिक	

कार्यालय तकनीकी कर्मचारी द्वारा दिनांक 05.07.2024 कासावती नदी क्षेत्र में किसी अतिक्रमण/रूकावट की जांच के लिए जीर की चौकी क्षेत्र में पहुंचे। मौके पर WRD के सहायक अभियन्ता, SDM नीमकाथाना तहसील पाटन व हल्का पटवारी की टीम के साथ निमोद गांव की तरफ से माईनिंग व केशर जोन के साथ बहने वाले प्राकृतिक जल प्रवाह के उद्गम स्थल से नीमकाथाना कोटपूतली मार्ग तक प्रवाह क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि पिछले दिनों हुई तेज बारिश का पानी कहीं नहीं रुका है एवं निर्बाध रूप से प्रवाहित होकर निकल चुका है। मौके पर किसी भी खनन पट्टें के कारण व केशर यूनिट के कारण पानी के प्रवाह में कोई रूकावट नहीं होना पाया गया। विभाग द्वारा नदी क्षेत्र में खनिज बजरी के अतिरिक्त अन्य खनिज का खनन पट्टा जारी नहीं किया गया है।

जिला सीकर (वर्तमान जिला नीमकाथाना) की तहसील नीमकाथाना व पाटन (नवगठित तहसील), (राजस्व ग्राम डाबला को छोड़कर) में गैर मुमकिन नदी, नालों के खसरा क्षेत्रों से निकलने

वाली खनिज बजरी क्षेत्रफल 3150.07 हेक्टेयर का खनन पट्टा दिये जाने हेतु श्री महेन्द्र सिंह रत्नावत पुत्र श्री नवल सिंह रत्नावत निवासी-53, गोलीमार गार्डन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज.) के पक्ष में शासन के पत्र क्रमांक प.7(22)खान/गुप-2/13 जयपुर दिनांक 10.05.2013 द्वारा मंशा-पत्र जारी किया गया।

तत्पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 9703-9706/13 एस.एल. पी. (सिविल) संख्या 34811/2013 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2013 के अनुसरण में शासन के पत्र क्रमांक प.7(22)खान/गुप-2/2013 जयपुर दिनांक 19.12.2013 द्वारा मंशा-पत्र धारक के पक्ष में क्षेत्र में खनन कार्य करने हेतु अस्थाई कार्यानुमति दिनांक 28.02.2014 तक के लिये सशर्त जारी की गई, जिसके तहत अस्थाई कार्यानुमति धारक द्वारा दिनांक 24.12.2013 से क्षेत्र में खनन कार्य प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.17 से राज्य में खनिज बजरी के समस्त 82 खनन पट्टों/अस्थाई कार्यानुमति क्षेत्र में खनन कार्य तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसरण में निदेशालय द्वारा पत्र दिनांक 17.11.17 से खनिज बजरी के समस्त खनन पट्टों/अस्थाई कार्यानुमति क्षेत्र में खनन कार्य तुरन्त प्रभाव से बन्द कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में खनन गतिविधियां तुरन्त प्रभाव से बन्द कराई गई। इस प्रकार कार्यालय क्षेत्राधिकार में खनिज बजरी हेतु कोई खनन पट्टा स्वीकृत होकर प्रभावशील नहीं रहा है।

क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध विभाग द्वारा सतत कार्यवाही की जाती है, प्रश्नगत क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 16.09.2024 तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

क. सं.	अवैध खनन के प्रकरण	अवैध निर्गमन के प्रकरण	कुल प्रकरण	आरोपित शास्ती (रूपये में)	शास्ती राशि (रूपये में)	जमा शास्ती राशि (रूपये में)
1.	4	13	17	15,63,250		15,63,250

उक्तानुसार प्रकरण की वस्तुस्थिति रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की गई।

भवदीय

  
(अशोक वर्मा)

सहायक खनि अभियन्ता  
नीमकाथाना

## Annexure R/5 (Colly)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एव यू-विज्ञान विभाग, नीमकाथाना  
E mail - ame.neemkathana@rajasthan.gov.in  
दिनांक 18.01.2023

सूचना संख्या 01574-23/1810

क्रमांक राखअ/नीम/जिका/2023/381

प्रेषित -

श्रीमान उपर्युक्त प्रतिकारी  
नीमकाथाना।

विषय - नीमकाथाना की कासावती नदी के बंधन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के सम्बन्ध में।

प्रसंग - आपका पत्रांक 48-50 दिनांक 13.01.2023 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पारंपरिक पत्र के साथ सलग्न शिकायत प्रतिवेदन श्री कैलाश मीणा राजस्थान समन्वयक जल आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय निवासी भराला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की संयुक्त जांच अधोहस्ताक्षरकर्ता मय तकनीकी कर्मचारी, सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता), नीमकाथाना, राजस्व विभाग एव सिंचाई विभाग के साथ दिनांक 17.01.2023 को की गई (प्रति सलग्न)। उक्त शिकायत की जांच उपरोक्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के संयुक्त रूप से कासावती नदी क्षेत्र जो निमोद, गावडी राजस्व सीमा से निर्गमित होकर रायुपर पाटन बंध क्षेत्र तक जाती है, तक का मौका निरीक्षण किया गया।

शिकायत में वर्णित अवैध खनन गतिविधियों के सम्बन्ध में जांच की गई, जिसके अनुसार इस कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार नदी क्षेत्र के आस-पास 6 खनन पट्टे खनिज चेजा पत्थर के स्वीकृत होकर प्रभावित हैं। जिसका विवरण निम्न है-खनन पट्टा 116/10, 363/04, 364/04, 694/10, 692/10 व 693/10 एव इसके अतिरिक्त खातेदारी भूमि में खनन पट्टा संख्या 363/04 से लगती हुई दो लीज आवेदित हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं। इस कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त 6 खनन पट्टों क्षेत्रों की मौका स्थिति अनुसार अवैध खनन नहीं होना पाया गया। मौका स्थिति अनुसार खनन पट्टा संख्या 692/10 एवं 693/10 के पास खान का मलबा पड़ा हुआ पाया गया, जिसे मौके पर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में पट्टाधारी के प्रतिनिधि द्वारा जेसीबी की सहायता से हटाया गया एवं भविष्य में नदी क्षेत्र में मलबा नहीं डालने हेतु पाबन्द किया गया।

मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार मौके पर ही गावडी सिलिका केंद्र के पदाधिकारियों द्वारा नदी क्षेत्र के किनारे पर मलबा डाला हुआ पाया गया, जिसको भी प्रतिनिधि द्वारा जेसीबी मशीन द्वारा मौके पर हटा दिया गया। तत्पश्चात कासावती नदी/नाला का आगे बढ़ते हुये निरीक्षण किया गया, जिसमें नदी/नालों को अवरुद्ध करके व मिट्टी भरकर रास्ता बनाया गया, जो खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 662 के सामने खसरा नम्बर 669 को मौके पर ही जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया जाकर नाले के साफ किया गया। इस कार्यवाही के पश्चात आगे नदी/नाले का निरीक्षण करने पर नदी/नाले के किनारों के पास आर. के स्टोन केंद्र के प्रतिनिधि श्री अनिल शर्मा को बुलाया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि दो दिवस में मलबे को हटा दिया जायेगा। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार नदी क्षेत्र के अधिकांश भाग निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नदी/नाला क्षेत्र साफ होना पाया गया। एक ही स्थान पर नाले/नदी को अवरुद्ध करके मिट्टी डालकर रास्ता बनाया गया हुआ था, जिसको जेसीबी की सहायता से मलबा हटाकर नाले/नदी क्षेत्र को साफ किया गया। श्री कैलाश मीणा के उक्त प्रतिवेदन में कासावती नदी क्षेत्र में जीर की चौकी के पास निमोद, राजस्व ग्राम क्षेत्रों में केंद्रों के अवैध निर्माण बाबत उल्लेख किया गया है इस सम्बन्ध में निवेदन है कि निमोद राजस्व ग्राम नगरपालिका, नीमकाथाना की सीमा में आता है। प्राक्धानों के अनुसार नगरपालिका से भूमि उपयोग परिवर्तन (लेण्ड कन्वर्जन) किये जाने के पश्चात ही प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा उनके प्राक्धानों अनुसार ही ईकाई की स्थापना कर संचालन की अनुमति के पश्चात ही सयंत्र स्थापित किया जा सकता है। नगरपालिका सीमा के बाहर राजस्व विभाग की भूमि उपयोग परिवर्तन (लेण्ड कन्वर्जन) करवाये जाने के पश्चात ही केंद्र संयंत्रों का निर्माण किया जा सकता है। खान विभाग द्वारा केंद्र


3/3

स्थापना की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती है। समय-समय पर खनन पट्टों क्षेत्रों की जांच की जाती रहेगी और अवैध खनन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मौके पर खनन पट्टाधारियों व क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को पाबन्द किया गया कि कासावती नदी/नाले में भविष्य में मलबा डालकर अवरोध नहीं किया जाये। क्षेत्र भूमियों से सम्बन्धित उनके संचालन के लिये कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्रदूषण विभाग से जारी की जाती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप अपने स्तर में सम्बन्धित विभाग से अवैध गतिविधियों एवं कन्सेन्ट टू ऑपरेट की शर्तों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा जाये। संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट मौके पर बनायी जाकर हस्ताक्षर किये गये। राजस्व विभाग के अनुसार कासावती नदी/नाला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

उक्तानुसार राजस्व विभाग, खनिज विभाग व जल संसाधन विभाग नीमकाथाना की संयुक्त जांच/कार्यवाही रिपोर्ट श्रीमान को वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-1. संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट।

2. कार्यवाही के समय लिये गये फोटोग्राफ।

  
(अमीचन्द्र दुहारिया)  
सहायक खनि अभियन्ता  
नीमकाथाना  
दिनांक:-18.01.2023

कमांक संस-362-366

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

1. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना।
2. श्रीमान खनि अभियन्ता सीकर को श्रीमान जिला कलक्टर सीकर के पत्र कमांक 81 दिनांक 11.01.2023 के कम में।
3. श्रीमान तहसीलदार नीमकाथाना।
4. श्रीमान सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता), नीमकाथाना।
5. श्रीमान सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग नीमकाथाना।

  
सहायक खनि अभियन्ता  
नीमकाथाना





संयोजन स्थापित किया जा सकता है। नगरपालिका सीमा के बाहर राजस्व विभाग की भी उपयोग परिवर्तन (जैंगल-नवनी) करने जाने के पत्रनाम ही द्वारा संयोजन स्थापित किया जा सकता है खान विभाग द्वारा केशर स्थापना की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती है। समस्त पत्र पर खनन पत्र को जारी की जाती रहेगी और अर्बेय खनन पत्र जाने पर मित्रमातृका (अनुमति) की जावेगी। मोठे पर खनन पत्रधारिनी व खनन के परिमिति को पावन्तु किया गया कि कासावरी-नदी/नाले में प्रविष्ट में मलबा डालकर अक्कल नहीं किया जावे। केशर युमिरो से सम्बन्धित उनके संचालन के लिये कन्सेट डू अपरैर डूषण विभाग की ली जावेगी की जारी है। अतः ध्यान में विवेक है कि आप अपने घर से सम्बन्धित विभाग से अर्बेय गतिविधियों के लिए की शर्तों की पालना नहीं करने पर विचार जावे। संयुक्त मोठा जांच रिपोर्ट मोठे पर बनायी जाकर हरद्वारा किया गया। राजस्व विभाग के अनुमात कासावरी-नदी/नाला राजस्व रिक्त में रूप नहीं है।

17/01/23  
 AEM/WRD  
 17/1/23

जानक  
 AEM/WRD

SEN WRD

17/01/23  
 17/1/23

3/2  
 17-01-2023  
 Anuchand Dubey  
 AM ELNES

17/01/2023  
 (अनुमति/नियंत्रण/नियुक्ति)

## सहायक अभियंता जलसंसाधन उपखण्ड, नीमकाथाना

क्रमांक - 202

दिनांक - 10.07.24

श्रीमान् अधिराषी अभियंता

जल संसाधन खण्ड, सीकर

विषय माननीय राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली प्रकरण 350/2024 अमित कुमार एवं अन्य  
बनाम युनिटन ऑफ इण्डिया एवं अन्य  
प्रसंग आपकी कार्यालय के पत्र 570 दिनांक 21.06.24 के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली प्रकरण स 350/2024 अमित कुमार एवं अन्य बनाम युनिटन ऑफ इण्डिया एवं अन्य दर्शाया हुआ है जोकि कारावती नदी के बहाव क्षेत्र अतिक्रमण से सम्बन्धित है।

उक्त OA के साथ संलग्न विभाग द्वारा दिये गये नोटिस के संदर्भ में निवेदन है कि बहाव क्षेत्र के नजदीक फैंप स्टोन क्रेशर आर के क्रेशर कम्पनी, गावडी सिलिका प्रा लि., भवानी स्टोन क्रेशर्स, कृष्णा ग्रीट उद्योग व लक्ष्मी नारायण क्रेशर जीर की घाटी में स्थित है, सभी नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित है। तत्समय उक्त सभी स्टोन क्रेशर को इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी नोटिस के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं खनिज विभाग के प्रतिनिधि श्री अमोघद दुहारिया सहायक खनिज अभियंता नीमकाथाना राजस्व विभाग के प्रतिनिधि श्री इंदरराम शर्मा नृ-अभिलेख निरीक्षक द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसके दौरान उक्त सभी क्रेशर खातेदारी में स्थापित पायी गई तथा इनके द्वारा अपशिष्ट स्टोन/मलबा नदी के बहाव क्षेत्र में पाया गया जिसको भीके पर ही क्रेशर संचालकों के द्वारा हटाया दिया गया था, जिसकी मौका रिपोर्ट संलग्न है।

आपके निर्देशानुसार पुन कारावती नदी के बहाव क्षेत्र की जांच हेतु दिनांक 06.07.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं अब्दुल कयूम कनिष्ठ अभियंता द्वारा नदी के बहाव/कैचमेंट एरिया का निरीक्षण किया गया कारावती नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण करने एवं अपशिष्ट डालने वाले स्टोन क्रेशर माईन्स की वस्तुस्थिति/तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

कारावती नदी के बहाव क्षेत्र के नजदीक फैंप स्टोन क्रेशर आर के क्रेशर कम्पनी, गावडी सिलिका प्रा लि, भवानी स्टोन क्रेशर्स व लक्ष्मी नारायण क्रेशर नदी के कैचमेंट एरिया/बहाव क्षेत्र जीर की घाटी में स्थित है, उक्त सभी क्रेशर बहाव क्षेत्र में खातेदारी की निजी भूमि में स्थित है वर्तमान समय में उक्त स्टोन क्रेशरों/इकाईयों के द्वारा वर्तमान स्थिति में बहाव क्षेत्र/नाला में अतिक्रमण से अवरुद्ध नहीं है।

उक्त प्रकारण में क्रेशर युनिट संचालकों को बहाव क्षेत्र/प्रवाह क्षेत्र में मलबा/अपशिष्ट इत्यादि डालकर अवरुद्ध नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया। बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूर्व में संयुक्त निरीक्षण की मौका रिपोर्ट संलग्न है।

जीर की घाटी का प्राकृतिक नाला का पानी नदी में सहायक नाले के रूप में मिलता है तथा कारावती नदी के कैचमेंट एरिया में जाता है।

वर्तमान में कारावती नदी का बहाव क्षेत्र/नाला में अतिक्रमण व अपशिष्ट से अवरुद्ध नहीं है।

अतः श्रीमान्जी उक्त प्रकारण की तथ्यात्मक रिपोर्ट सूचनार्थ एवम् अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

01/5011  
सहायक अभियंता  
जल संसाधन उपखण्ड  
नीमकाथाना



**Raipur Patan dam**



**Raipur Patan dam**

## Annexure R/7

**Tabular chart of rainfall data of the last 29 years of rain gauge stations  
Neem ka Thana and Raipur Patan Dam site**

S. No.	Year	Total Rainfall in M.M.	
		Neem ka Thana	Raipur Patan
1.	1995	694	-
2.	1996	890	-
3.	1997	351	-
4.	1998	163	-
5.	1999	332	-
6.	2000	290	-
7.	2001	350	-
8.	2002	207	-
9.	2003	524	-
10.	2004	417	-
11.	2005	719	-
12.	2006	384	-
13.	2007	342	387
14.	2008	555	305
15.	2009	336	400
16.	2010	1124	1124
17.	2011	849	583
18.	2012	680.5	553
19.	2013	510	290
20.	2014	553	553
21.	2015	562	251
22.	2016	650	328
23.	2017	429	333
24.	2018	838	754
25.	2019	619	500
26.	2020	575	398
27.	2021	581	517
28.	2022	412	474
29.	2023	701	562
30.	2024	648	758

**TRUE COPY**

# Annexure R/8

43 763

## 1. Trend of Ground Water level of Neemkathana Area

( District:- Neemkathana, Block:- Neemkathana, Zone:- Quartzite) Consider Pre monsoon Data

Year	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Average Water Level (M.)	20.16	21.32	21.29	20.08	26.48	33.86	33.42	31.86	33.12	26.30	33.45	36.13	44.16

## 2. Ground Water Extraction Stage of Neemkathana Area

( District:- Neemkathana, Block:- Neemkathana, Zone:- Quartzite)

Year	1998	2001	2009	2011	2013	2017	2020	2022	2023
Stage of Ground Water Extraction in %	108.10	97.00	114.80	135.85	185.49	182.82	203.47	219.59	227.40

Note:- Block Stage of Ground water Extraction <70% is Safe, >70% and <90% is Sami Critical, >90% and <100% is Critical, >100% is Over Exploited

## 3. Pre monsoon 2023 and Post monsoon 2023 Water level of Rela Area

( District:- Neemkathana, Block:- Neemkathana, Zone:- Quartzite)

Sr No.	Name of village	Zone	Type of Well	Total depth(M.)	2023		
					Pre.	Post	Flu
1	Nimod	Quartzite	DW	34	Dry	Dry	Dry

## 4. Trends of Ground Water Quality of Neem ka thana Area

S.No.	Name of Village	Owners Name	Zone	Type of well	Total depth(M.)	2021			
						TDS (mg/l)	Flouride (mg/l)	Nitrate (mg/l)	Clouride (mg/l)
1	Nimod	Public well	Quartzite	DW	34	509	0.62	1.09	2.20

S.No.	Name of Village	Owners Name	Zone	Type of well	Total depth(M.)	2022			
						TDS (mg/l)	Flouride (mg/l)	Nitrate (mg/l)	Clouride (mg/l)
1	Nimod	Public well	Quartzite	DW	34	471	0.58	0.89	71

S.No.	Name of Village	Owners Name	Zone	Type of well	Total depth(M.)	2023			
						TDS (mg/l)	Flouride (mg/l)	Nitrate (mg/l)	Clouride (mg/l)
1	Nimod	Public well	Quartzite	DW	34	491	1.17	64	106

## 1. Trend of Ground Water level of Patan Area

( District:- Neemkathana, Block:- Patan, Zone:- Quartzite) Consider Pre monsoon Data

Year	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Average Water Level (M.)	11.84	12.54	13.43	14.39	18.78	21.17	19.25	21.01	19.85	19.29	20.90	22.15	21.78

## 2. Ground Water Extraction Stage of Patan Area

( District:- Neemkathana, Block:- Patan, Zone:- Quartzite)

Year	1998	2001	2009	2011	2013	2017	2020	2022	2023
Stage of Ground Water Extraction in %	108.10	97.00	114.80	117.14	158.36	159.75	142.20	163.62	170.19

Note:- Block Stage of Ground water Extraction <70% is Safe, >70% and <90% is Sami Critical, >90% and <100% is Critical, >100% is Over Exploited

## 3. Pre monsoon 2023 and Post monsoon 2023 Water level of Rela Area

( District:- Neemkathana, Block:- Neemkathana, Zone:- Quartzite)

Sr No.	Name of village	Zone	Type of Well	Total depth(M.)	2023		
					Pre.	Post	Flu
1	Kachhreda	Quartzite	DW	23	21.05	14.50	6.55
2	Rajpura	Quartzite	PZ	98.3	96.23	95.09	1.14
3	Dhandhela	Quartzite	PZ	65	16.30	13.44	2.86
4	Mohanpura	Quartzite	PZ	93	35.45	34.80	0.65
5	Kharkhra	Quartzite	DW	28.10	25.36	17.11	8.25
6	Ballupura	Quartzite	PZ	93.2	35.45	34.80	0.65
7	Hasampur	Quartzite	PZ	107	26.5	25.15	0.90
8	Chhaja ki nangal	Quartzite	PZ	20.5	65.05	67.35	-2.30
9	Rampura	Quartzite	PZ	95.2	88.50	91.28	-2.78
10	Mothuka	Quartzite	PZ	72.6	61.20	Dry	-
11	Rela	Quartzite	DW	21.5	21.20	19.50	1.70
12	Fatehpura	Quartzite	DW	29	Dry	Dry	Dry
13	Haripura	Quartzite	PZ	24.8	19.15	16.8	2.35
14	Ramsinghpura	Quartzite	PZ	101.6	19.15	16.8	2.35
15	Meena ki Nangal	Quartzite	PZ	120.4	118.69	118.05	0.64
16	Dalpatpura	Quartzite	PZ	120	118.69	118.05	0.64

		GWD	QUARTZITE	PZ	72.60	921	0.84	0.22	1/6
--	--	-----	-----------	----	-------	-----	------	------	-----

17	Raipur Patan	Quartzite	DW	22.95	21.05	14.50	6.550
18	Baleshwar	Quartzite	DW	24.25	16.80	8.60	8.20
19	Nangwas	Quartzite	DW	20	Dry	Dry	Dry
20	Dokan	Qtz./Schist	PZ	89.5	41.00	32.4	8.60
21	Khurdiya	Quartzite	DW	23	Dry	Dry	Dry
22	Kanthli	Qtz./Schist	PZ	72.60	61.20	Dry	-

## 4. Trends of Ground Water Quality of Patanwati Area

S.No.	Name of Village	Owners Name	Zone	Type of well	Total depth(M.)	2021			
						TDS (mg/l)	Flouride (mg/l)	Nitrate (mg/l)	Clouride (mg/l)
1	Kachhreda	Public well	Quartzite	DW	23	756	0.24	0.62	6
2	Rajpura	GWD	Quartzite	PZ	98.3	928	0.52	1.59	6
3	Dhandhela	GWD	Quartzite	PZ	65	1740	0.36	1.26	21.20
4	Mohanpura	GWD	Quartzite	PZ	93	982	0.61	1.74	8
5	Kharkhra	Public well	Quartzite	DW	28.10	765	0.76	0.23	158
6	Ballupura	GWD	Quartzite	PZ	93.2	982	0.61	1.74	8
7	Hasampur	GWD	Quartzite	PZ	107	437	.48	.33	9.20
8	Chhaja ki nangal	GWD	Quartzite	PZ	20.5	455	0.26	3.80	0.03
9	Rampura	GWD	Quartzite	PZ	95.2	488	0.31	3.4	0.04
10	Mothuka	GWD	Quartzite	PZ	72.6	921	0.84	0.22	176
11	Rela	Public well	Quartzite	DW	21.5	928	0.52	1.59	6
12	Fatehpura	Public well	Quartzite	DW	29	801	0.80	0.19	248
13	Haripura	GWD	Quartzite	PZ	24.8	801	0.80	0.19	248
14	Ramsinghpura	GWD	Quartzite	PZ	101.6	801	0.80	0.19	248
15	Meena ki Nangal	GWD	Quartzite	PZ	120.4	911	0.89	0.22	174
16	Dalpatpura	GWD	Quartzite	PZ	120	925	0.90	0.15	187
17	Raipur Patan	Public well	Quartzite	DW	22.95	756	0.24	0.62	6
18	Baleshwar	Public well	Quartzite	DW	24.25	303	0.24	1.24	2.20
19	Nangwas	Public well	Quartzite	DW	20	434	0.82	1.43	5.40
20	Dokan	GWD	Qtz./Schist	PZ	89.5	532	0.40	1.41	2
21	Khurdiya	Public well	Quartzite	DW	23	801	0.80	0.19	248
22	Kanthli	GWD	Qtz./Schist	PZ	72.60	921	0.84	0.22	176

S.No.	Name of Village	Owners Name	Zone	Type of well	Total depth(M.)	2023			
						TDS (mg/l)	Flouride (mg/l)	Nitrate (mg/l)	Clouride (mg/l)
1	Kachhreda	Public well	Quartzite	DW	23	612	0.42	38	156
2	Rajpura	GWD	Quartzite	PZ	98.3	1107	0.77	86	269
3	Dhandhela	GWD	Quartzite	PZ	65	1278	0.59	19	432
4	Mohanpura	GWD	Quartzite	PZ	93	966	0.69	1.81	4
5	Kharkhra	Public well	Quartzite	DW	28.10	637	0.45	13	123
6	Ballupura	GWD	Quartzite	PZ	93.2	966	0.69	1.81	4
7	Hasampur	GWD	Quartzite	PZ	107	2187	0.65	198	702
8	Chhaja ki nangal	GWD	Quartzite	PZ	20.5	1008	0.74	43	440
9	Rampura	GWD	Quartzite	PZ	95.2	493	0.36	3.7	0.01
10	Mothuka	GWD	Quartzite	PZ	72.6	936	0.79	0.27	174
11	Rela	Public well	Quartzite	DW	21.5	1107	0.77	86	269
12	Fatehpura	Public well	Quartzite	DW	29	573	0.55	38	92
13	Haripura	GWD	Quartzite	PZ	24.8	573	0.55	38	92
14	Ramsinghpura	GWD	Quartzite	PZ	101.6	573	0.55	38	92
15	Meena ki Nangal	GWD	Quartzite	PZ	120.4	919	0.89	0.21	174
16	Dalpatpura	GWD	Quartzite	PZ	120	940	0.98	0.16	182
17	Raipur Patan	Public well	Quartzite	DW	22.95	612	0.42	38	156
18	Baleshwar	Public well	Quartzite	DW	24.25	427	0.31	159	92
19	Nangwas	Public well	Quartzite	DW	20	339	0.67	33	64
20	Dokan	GWD	Qtz./Schist	PZ	89.5	354	0.37	32	57
21	Khurdiya	Public well	Quartzite	DW	23	573	0.55	38	92
22	Kanthli	GWD	Qtz./Schist	PZ	72.60	936	0.79	0.27	174



VAKALATNAMA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPLE BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 350/2024 (PB)

IN THE MATTER OF:  
AMIT KUMAR AND ANR.

...APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

... RESPONDENTS

know All whom these presents shall come that I, **Nathmal Khedar**, aged about 57 years, at present working as **Executive Engineer, Executive Engineer WR Division Sikar and Officer in Charge (OIC)** for **Respondent No. 3**, state of Rajasthan Through Chief Secretary, Government of Rajasthan do hereby appoint:

Prachi Mishra (D/2176/1999), Chaitanya (D/2594/2015)  
8, Todarmal Lane, Bengali Market, New Delhi -110001  
Ph: 9818488187; 8130068859; 8586840600  
**mishraprachiadv@gmail.com**

hereinafter called the Advocate/s to be my/our Advocate/s in the abovementioned Original Application and authorize him/them:

To act, appear and plead in the above noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the Appellate Court.

To sign, file, verify and present pleadings, applications, appeals, cross-objections, or Petitions for execution, review, revision, withdrawal, compromise or other petitions replies, objections affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To deposit, draw and receive monies, cheques and grant receipts therefore and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the powers and authorities hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on my/our behalf.



And I/we the undersigned do hereby agree to ratify and confirm acts done by the Advocate or his substitute in the matters as if done by me/us to all intents and purposes.


And I/we the undersigned do hereby agree not to hold the Advocate or his substitute responsible for the result of the said case in consequence of his absence from the Court when the said case is called up for hearing, or for, any negligence of the said Advocate or his substitute.

And I/we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid, he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid. If any costs are allowed for an adjournment, the Advocate would be entitled to the same.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us this 27<sup>th</sup> day of July, 2024.

Accepted and Identified.

  
ADVOCATES  


  
(NATHMAL KHEDAR)  
CLIENT  
अधिशायी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड, सीकर  
कोड न 593

## VAKALATNAMA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPLE BENCH AT NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 350/2024 (PB)IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR AND ANR.

... APPLICANTS

## VERSUS

UNION OF INDIA &amp; ORS.

... RESPONDENTS

know All whom these presents shall come that I, **Nathmal Khedar**, aged about 57 years, at present working as **Executive Engineer, Executive Engineer WR Division Sikar** and **Officer in Charge (OIC) for Respondent No. 4, Water Resources Department, Government of Rajasthan, & Respondent No. 6, Rajasthan River Basin & Water Resources Planning Authority, Government of Rajasthan** do hereby appoint:

Prachi Mishra (D/2176/1999), Chaitanya (D/2594/2015)  
8, Todarmal Lane, Bengali Market, New Delhi -110001  
Ph: 9818488187; 8130068859; 8586840600  
[mishraprachiadv@gmail.com](mailto:mishraprachiadv@gmail.com)

here in after called the Advocate/s to be my/our Advocate/s in the above mentioned Original Application and authorize him/them:

To act, appear and plead in the above noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the Appellate Court.

To sign, file, verify and present pleadings, applications, appeals, cross-objections, or Petitions for execution, review, revision, withdrawal, compromise or other petitions replies, objections affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To deposit, draw and receive monies, cheques and grant receipts therefore and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the powers and authorities hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on my/our behalf.

And I/we the undersigned do hereby agree to ratify and confirm acts done by the Advocate or his substitute in the matters as if done by me/us to all intents and purposes.

And I/we the undersigned do hereby agree not to hold the Advocate or his substitute responsible for the result of the said case in consequence of his absence from the Court when the said case is called up for hearing, or for, any negligence of the said Advocate or his substitute.

And I/we the under signed do hereby agree that in the event of the whole or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid, he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid. If any costs are allowed for an adjournment, the Advocate would be entitled to the same.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us this 29<sup>th</sup> day of June, 2024.  
Accepted and Identified.

ADVOCATES

CLIENT

अधिकाशी अभियन्ता  
नल संसाधन खण्ड, सीकर  
कोड न 593